माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

website-msuniversity.ac.in E-mail ID – nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 92 / 14 / एन0एस0एस0 / एम.एस.यू. / 2024–25 दिनांकः 03 / 10 / 2024

सेवा में, **शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध**

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय / संस्थान,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषयः सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांकः 02.10.2024 से 16.10.2024 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र सं0–2442 / सत्तर–2024–08(14) / 2018 दिनांकः 01 अक्टूबर 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आगामी धार्मिक आयोजनों के कारण सड़कों पर अधिक आवागमन होने के दृष्टिगत समस्त महाविद्यालयों के सहयोग से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांकः 02.10.2024 से 16.10.2024 तक संलग्न कार्ययोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त संन्दर्भित पत्र दिनांकः 01.10..2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट कार्यालय ईमेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 भूपेन्द्र कुमार)
नोड़ल सड़क सुरक्षा /
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

नोड़ल सड़क सुरक्षा /
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

143–NSS
2-10-24

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–2442/सत्तर–3–2024–08(14)/2018

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा उ0प्र0,
   प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0।
3. **विशेष कार्याधिकारी,**
   राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक,
   उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 01 अक्टूबर, 2024**

विषयः–सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 02.10.2024 से 16.10.2024 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिवहन अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2577/तीस–3–2024, दिनांक 26.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आगामी धार्मिक योजनाओं के कारण सड़कों पर अधिक आवागमन होने की संभावना के दृष्टिगत समस्त स्टेक होल्डर विभाग के सहयोग से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 02.10.2024 से 16.10.2024 तक) मनाये जाने हेतु निर्णय के अनुक्रम में संलग्न कार्ययोजना अनुसार स्टेक होल्डर विभागों/एजेंसियों द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1915/सत्तर–3–2023–08(14)/2018, दिनांक 17.07.2023 के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हेतु पूर्व में व्यापक दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 02.10.2024 से 16.10.2024 तक तिथिवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मनाये जाने के सम्बन्ध में कार्ययोजना निम्नवत् है :–

दिवस	कार्ययोजना
प्रथम दिवस	• प्रत्येक जनपद में गांधी जयन्ती के पावन अवसर पर सड़क सुरक्षा पखवाड़े का उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा समस्त स्टेक होल्डर विभागों को सम्मिलित करते हुए आयोजित किया जाये। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक, पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाय। • समारोह में परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एन0जी0ओ0 के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को भी सम्मिलित किया जाय। • उद्घाटन समारोह के सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार, वाहन/रैली आदि को उपस्थित मुख्य अतिथि द्वारा फ्लैग आफ कराते हुए पखवाड़े का शुभारम्भ कराया जाये। • उद्घाटन समारोह में समस्त जनपदों में सड़क दुर्घटना पीड़ित परिजनों को उनके अनुभवों को साझा किये

	जाने हेतु आमंत्रित किया जाय तथा आम–जनमानस को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति संवेदीकृत किये जाने के दृष्टिगत उनके अनुभवों का वीडियो क्लिप भी बनाया जाए। • उद्घाटन समारोह के समापन में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये।
द्वितीय दिवस	उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाय। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलायी जाय।
तृतीय दिवस	• उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से छात्रों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाय। • उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।
चतुर्थ दिवस	उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।
पंचम दिवस	शिक्षण संस्थानों में वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाय।
षष्ठम दिवस	उच्च शिक्षण संस्थानों के रोड सेफ्टी क्लबों एवं एन0एस0एस0 के माध्यम से मलिन बस्ती एवं अभिगृहीत ग्रामों में जाकर जन–मानस को जागरूक किया जाय।
सप्तम दिवस	महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाय।
अष्ठम दिवस	शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाय। महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाय।
नवम दिवस	संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोवर्स रेंजर/स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम कराया जाय।
दशम दिवस	संस्थानों में विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाय।
11 वां दिन	दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अपने निकटस्थ राम लीला कार्यक्रम के दौरान एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोवर्स रेंजर/स्काउट गाइड द्वारा दर्शकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाय।
12 वां दिन	शिक्षण संस्थानों में वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाय।
13 वां दिन	संस्थानों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाय।
14 वां दिन	उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाय।
15 वां दिन	राज्य/निजी विश्वविद्यालयों की समस्त कार्यदिवसों की सूचनाएं अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के ई–मेल आई0डी0 upshec@gmail.com पर तथा महाविद्यालयों की समस्त कार्यदिवसों की सूचनाएं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज की ई–मेल आई0डी0 infodheup21@gmail.com पर उपलब्ध कराये जायेगे। निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज तथा अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा समस्त सूचनाओं को संकलित करते हुये परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्ययोजना के अनुसार समस्त स्टेक होल्डर विभाग/एजेंसियों द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

2– निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

4– अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उ०प्र० शासन।

5– प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन।

6– निदेशक सूचना, उ०प्र०।

7– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

9– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

10– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 2577/तीस-3-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 2442 /उत्तर-3-2024

सेवा मे,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/ गाजियाबाद/प्रयागराज
4 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2024

विषय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक) मनाये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में बढ़ती हुई मृतकों की संख्या राज्य सरकार के लिए एक चिन्तनीय विषय है, जिसमें कमी लाया जाना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके एवं इनके पालन के प्रति संवेदनशील बनाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

2. आगामी धार्मिक आयोजनों के कारण सड़कों पर अधिक आवागमन होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत समस्त स्टेकहोल्डर विभागों के सहयोग से **सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक)** मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में संलग्न कार्ययोजनानुसार समस्त स्टेक होल्डर विभागों/एजेसियों द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/ नगर विकास विभाग/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

27/9/24

3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0।
5. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/यूपीडा/उपशा ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय अधिकारी(पश्चिमी/पूर्वी), एन0एच0ए0आई0, उ0प्र0।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव ।

(17)

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 2577/तीस-3-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज
4 समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2024

विषय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक) मनाये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में बढ़ती हुई मृतकों की संख्या राज्य सरकार के लिए एक चिन्तनीय विषय है, जिसमें कमी लाया जाना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। जनसामान्य को यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करके एवं इनके पालन के प्रति संवेदनशील बनाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

2. आगामी धार्मिक आयोजनों के कारण सड़कों पर अधिक आवागमन होने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत समस्त स्टेकहोल्डर विभागों के सहयोग से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक) मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में संलग्न कार्ययोजनानुसार समस्त स्टेक होल्डर विभागों/एजेसियों द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रिन्ट व

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 26-09-2024 13:53:18

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग/लोक निर्माण विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/ नगर विकास विभाग/सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, उ0प्र0।
5. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यीडा/यूपीडा/उपशा ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय अधिकारी (पूर्वी/पश्चिमी), एन0एच0ए0आई0, उ0प्र0।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव ।

Signed by
Lakku Venkateshwarlu
Date: 26-09-2024 14:08:46

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 02.10.2024 से दिनांक 16.10.2024 तक) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा सड़क सुरक्षा पखवाड़े के आयोजन हेतु सामान्य निर्देश:-

- आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में समस्त विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत किया जाए तथा इस हेतु कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड भी लगाया जाए एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में वाहन पर बिना हेल्मेट/बिना सीटबेल्ट लगाये हुए कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुपस्थित माना जाए। **(कार्यवाही-समस्त विभाग)**
- सडक सुरक्षा पखवाडा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में एसेम्बली/प्रार्थना के उपरान्त छात्रों को सडक सुरक्षा की जानकारी दिया जाना एवं सडक सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना तथा समस्त विद्यालय/महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस एवं बिना हेल्मेट के विद्यार्थियों/अभिभावक की जांच करते हुए उनको सडक सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। **(कार्यवाही-बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग)**
- दिनांक 12.10.2023 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में 03 या अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु वाली दुर्घटनाओं की जांच हेतु दुर्घटना जांच समिति एवं जनपद स्तरीय समन्वय समिति के गठन की कार्यवाही पखवाडे के अंतर्गत पूर्ण की जाए। **(कार्यवाही-जिलाधिकारी/सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी)**
- प्रत्येक जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से एक एन0एच0 तथा एक एस0एच0 को मॉडल सेफ रोड के रूप में चयन कर मार्गों पर पखवाडे के दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाना। **(कार्यवाही- सचिव/सह-सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति)**
- सडक सुरक्षा पखवाडा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्गों पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके कियाशीलता को सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाये। **(कार्यवाही-नगर विकास विभाग)**
- सडक सुरक्षा पखवाडा के अंतर्गत समस्त आई0टी0एम0एस0 वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस के माध्यम से कैप्चर किये हुए उल्लंघनों का शत-प्रतिशत चालान किया जाये। **(कार्यवाही-पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय-स्मार्ट सिटी, यीडा, यूपीडा)**
- समस्त एक्सप्रेस-वे ऑथारिटी तथा एन0एच0ए0आई0/लो0नि0वि0(एन0एच0) द्वारा पखवाडे के प्रत्येक दिवस में सडक किनारे अवैध रूप से खडे हुए वाहनों/खराब दशा में खडे हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रभावी पेट्रोलिंग किया जाना सुनिश्चित करें। एस0एच0 तथा अन्य श्रेणी के मार्गो पर उपरोक्तानुसार पेट्रोलिंग की कार्यवाही पुलिस विभाग के द्वारा की जाए। **(कार्यवाही-पुलिस विभाग,एन0एच0ए0आई0, लो0नि0वि0 (एन0एच0),यीडा, यूपीडा)**
- आयोजित पखवाडे के प्रत्येक दिवस में पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रयोग करने वाले विभाग द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सडक सुरक्षा का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। **(कार्यवाही-परिवहन निगम, नगर विकास विभाग, पुलिस विभाग)**

समस्त दो पहिया/चार पहिया वाहन डीलर्स शो-रूम में परिवहन विभाग के मुख्यालय द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के क्रम में सडक सुरक्षा कार्नर की स्थापना पखवाड़े से पूर्व कराना सुनिश्चित किया जाए, इसके अतिरिक्त सडक सुरक्षा संबंधित डिस्प्ले बैनर/होर्डिंग (न्यूनतम 12 x 8 फिट) का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। (कार्यवाही-परिवहन विभाग)

उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में सडक सुरक्षा पखवाड़े की दिवसवार कार्ययोजना निम्नवत है:-

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल- लो0नि0वि0)	शिक्षा विभाग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम	§ प्रत्येक जनपद में गांधी जयन्ती के पावन अवसर पर सडक सुरक्षा पखवाड़े का उद्घाटन समारोह का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा समस्त स्टेक होल्डर विभागों को सम्मिलित करते हुए आयोजित किया जाये। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के मा0 सांसद, मा0 विधायक, पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाये। § समारोह में परिवहन से जुड़े बस/ट्रक/आटो यूनियन, एन0जी0ओ0 के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को भी सम्मिलित किया जाए। § उद्घाटन समारोह के सडक सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन/रैली आदि को उपस्थित मुख्य अतिथि द्वारा फ्लैग ऑफ कराते हुए पखवाड़े का शुभारम्भ कराया जाये। § उद्घाटन समारोह में समस्त जनपदों में सडक दुर्घटना पीड़ित परिजनों को उनके अनुभवों को साझा किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाए तथा आम-जनमानस को सडक सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति संवेदीकृत किये जाने के दृष्टिगत उनके अनुभवों का वीडियो क्लिप भी बनाया जाए। § उद्घाटन समारोह के समापन में सडक सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये।						
द्वितीय दिवस	1-समस्त व्यावसायिक वाहनों/ ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप /ब्रेक लाइट/ फॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।	1-परिवहन निगम की समस्त बसों/अनुबन्धित बसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप/ब्रेक लाइट/फॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।	1- सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई-रिक्शा तथा टैक्सी चालकों एवं उनके यूनियन के पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के समन्वय से सडक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	समस्त सडक स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के साथ सडक सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन कर सडक सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानो में छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य सडक सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। सभी विद्यार्थियों को सडक सुरक्षा शपथ दिलायी जाये।	1- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त ट्रामा सेन्टरों की मानव संसाधन एवं उपकरण की गैप एनालिसिस की जाये। 2- सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले 50 ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए उन मार्गों पर स्थित निकटतम ट्रामा सेन्टर एवं

			किया जाना। 2- सर्वाधिक दुर्घटना मृत्यु वाले 50 ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करते हुए स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया जाना।			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण। (मुख्यालय स्तर)
तृतीय दिवस	सभी बस /ट्रक/आटो/ई-रिक्शा तथा टैक्सी चालकों एवं उनके यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।	निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना।	1 दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरूद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	1-वर्ष 2024 में चिन्हित नवीन ब्लैक स्पॉट का सत्यापन कर सड़क निर्माण विभाग/एजेंसी का निर्धारण एवं सभी ब्लैक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाये। 2- वर्ष 2023 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तात्कालिक सुधार वाले अवशेष कार्यों को चिन्हित कर उन्हें पखवाड़े में पूर्ण कराया जाए।	1- बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से छात्रों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाना। 2- उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य भाषण एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	108 एम्बुलेंस/ एन0एच0 एम0आई0/ एक्सप्रेस वे की एम्बुलेंसेस के ई0एम0 टी0 का प्रशिक्षण स्तर, कार्यशैली का निरीक्षण किया जाना।
चतुर्थ दिवस	राजकीय चिकित्सालयों में व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के	1- निगम की बसों की फिटनेस की जांच कर कमियों को दूर करना तथा सड़क सुरक्षा के	दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित),	1-जनपद के समस्त अधिकारी कर्मचारी/ठेकेदार का IRC-SP-55 के अनुसार वर्क जोन सेफ्टी के प्रावधानों का प्रशिक्षण	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा से संबंधित	समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जांच

	अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।	दृष्टिगत बसों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रचार-प्रसार किया जाना। 2- राजकीय चिकित्सालयों में परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराना।	सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	दिया जाना। 2-इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाए।	जागरूकता रैली का आयोजन किया जाना। सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	कार्ड के अनुसार राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच किया जाना। (प्रथम चरण)
पंचम दिवस	1-ओवर लोडिंग/गलत न0 प्लेट, बिना एचएसआरपी लगे वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक किया जाना। 2. सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई	परिवहन निगम की समस्त बसों/अनुबन्धित बसो की फिटनेस की जांच किया जाना।	1- रेड लाइट जम्पिंग, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी चेकिंग के विरुद्ध अभियान। 2- समस्त एक्सप्रेस वे तथा हाईवे पर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु जनपदों की सीमाओं के इंट्री प्वाइंट पर ही वाहनों की जांच किया जाये।	अपने विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के 02 कार्यस्थलों पर वर्क जोन सेफ्टी के क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन कर सड़क सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित फोटोग्राफ तथा सूचना को प्रेषित किया जाना।	सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों से कराया जाना।	ए0आर0टी0ओ0, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों परिचालकों/प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी/टोल प्लाजा कर्मी/राजमार्गों पर स्थित ढाबो के इच्छुक व्यक्तियों/पेट्रोल पम्प कर्मी/गराज के मैकेनिक/चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाना।

	बीम/लो बीम के प्रयोग के सबंध मे जागरूक किया जाना।					
षष्ठम दिवस	पूर्वान्ह- दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), मोबाइल फोन, गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। अपरान्ह - अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान तथा एक्सप्रेस-वे एवं फोर लेन रोड पर लेन ड्राइविंग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाये।	परिवहन निगम के बस चालकों/परिचालकों को कोहरे मे बस संचालित करने, महिला सुरक्षा के प्रति संवेदीकृत करने एवं बसों, बस डिपो, बस स्टेशनों की सामान्य स्वच्छता हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाए।	अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का सहयोग करना। राजमार्गो पर सडक के किनारें स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। शहर के प्रमुख स्थलों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान।	1- वर्ष 2023 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर तात्कालिक सुधार वाले अवशेष कार्यो को चिन्हित कर उन्हें पखवाडे में पूर्ण कराया जाए। 2-समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृष्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छँटाई किया जाना।	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के रोड सेफ्टी क्लबों एवं एन0एस0एस0 के माध्यम से मलिन बस्ती एवं अधिसूचित ग्रामों में जाकर जन-मानस को जागरूक किया जाना।	1- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना। 2- IRAD मोबाइल एप के सबंध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT MANAGER के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सडक दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।
सप्तम दिवस	पूर्वान्ह - दो पहिया वाहन की हेल्मेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), सीटबेल्ट, मोबाइल फोन,	परिवहन निगम की बसों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, बैक लाइट, इंडीकेटर, हेडलाइट, पंजीयन नम्बर प्लेट, खिड़कियों	स्वयं सेवी संस्थाओ अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रयोजित कराकर	विभिन्न मार्गो पर पूर्व में स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन	माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया	1- ट्रामा सेन्टरों मे उपलब्ध सुविधाओ के सुदृढीकरण एवं ट्रामा सेंटर को लेवल-3 से लेवल-2 में उच्चीकृत किये

	गलत दिशा में वाहन का संचालन करने के विरुद्ध लोगों को जागरूक करते हुए प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। अपरान्ह - अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान तथा एक्सप्रेस-वे एवं फोर लेन रोड पर लेन ड्राइविंग के प्रति लोगों को जागरूक किया जाये।	में शीशे लगे होने की चेकिंग किया जाना तथा इनमें से मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उनका सुधार करना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।	निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगवाया जाए तथा सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों को हटाया जाए एवं चालकों को लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक किया जाना।	बोर्ड/रोड मार्किंग को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही	जाना।	जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही 2- 04 नये ट्रामा सेन्टर को बनाये जाने की कार्यवाही। (मुख्यालय स्तर)
अन्तिम दिवस	प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। मॉडीफाइड साइलेन्सर/ हूटर/ प्रेशर हार्न/शीशे पर काली फिल्म की चेकिंग।	परिवहन निगम के चालकों एवं परिचालकों की वर्दी में उपस्थिति कराकर उनके मध्य सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर क्विज कम्पटीशन कराया जाना तथा परिवहन निगम के चालकों द्वारा उनके पालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। क्विज	वाहनों पर मॉडीफाइड साइलेन्सर/ हूटर/ सायरन/ प्रेशर हार्न एवं शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।	संकरी पुलिया को चिन्हित करते हुए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय को स्थापित किया जाना तथा संकरी पुलिया पर पूर्व में किये गये सुधारीकरण कार्यों की जांच कर क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही।	1-मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जनपद के बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिक्षित किया जाना। 2-माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में गठित रोड सेफ्टी क्लब द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के	108 एम्बुलेंस/ एन0एच0 ए0आई0/ एक्सप्रेस वे की एम्बुलेंस के ई0एम0टी0 का प्रशिक्षण स्तर, कार्यशैली का निरीक्षण किया जाना।

		कम्पटीशन में विजेता क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।			प्रति जागरूक किया जाना।	
नवम दिवस	1-प्रदूषण जांच केन्द्रों की चेकिंग व, मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग। मॉडिफाइड साइलेन्सर/ हूटर/ प्रेशर हॉर्न/ की चेकिंग। 2- समस्त एक्सप्रेस वे तथा हाईवे पर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु जनपदों की सीमाओं के इंट्री प्वाइंट पर ही वाहनों की जांच इण्टरसेप्टर के माध्यम से की जाये।	परिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हैडलाइट, खिडकी एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	समस्त एक्सप्रेस वे तथा हाईवे पर सडक दुर्घटना रोकने हेतु जनपदों की सीमाओं के इंट्री प्वाइंट पर ही वाहनों की जांच की जाये।	iRAD/eDAR मोबाइल एप के संबध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT MANAGER के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोक निर्माण विभाग में लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना।	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित (एन0एस0एस0/ एन0सी0सी0/ रोवर्स रेंजर/स्काउट गाइड) के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।	राजकीय चिकित्सालयों में समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जांच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच किया जाना। (द्वितीय चरण)
दशम दिवस	ओवर लोडिंग/ गलत नं0 प्लेट, बिना एचएसआरपी लगे वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना	परिवहन निगम की बसों में रेट्रो-रिफलेक्टिव टेप, बैक लाइट, इंडीकेटर, हेडलाइट, पंजीयन नम्बर प्लेट, खिडकियों में लगे हुये शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया	सभी जनपदों में स्थापित ट्रैफिक सिग्नल तथा सीसीटीवी /एएनपीआर आदि कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, को सुनिश्चित किया जाना।		उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम।	सभी अस्पतालों (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) में दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य,

	तथा लेन ड्राइविंग के बारे में चालकों को जागरूक किया जाना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।	जाना।				स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना।
11वां दिन	1-ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। 2-स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप फिटनेस की जांच एवं कार्यवाही किया जाना।	परिवहन निगम के चालकों का ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही, ट्रैफिक जाम के निवारण हेतु कार्ययोजना बनाना एवं कार्यवाही।	1-विभिन्न मार्गों पर पूर्व में स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा क्षतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही 2-समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/झाड़ियों की छँटाई किया जाना।	दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले अपने निकटस्थ राम लीला कार्यक्रम के दौरान एन0एस0एस0/ एन0सी0सी0/ रोवर्स रेंजर/स्काउट गाइड द्वारा दर्शकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये।	राजकीय चिकित्सालयों में होने समस्त दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीमारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
12 वां दिवस	1-ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना। 2-स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा	परिवहन निगम के चालकों का ड्रंकन ड्राइविंग के विरुद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।	ड्रंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।	1-एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से व्यावसायिक वाहन चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र	सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना।	IRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT ROLLOUT MANAGER के साथ समन्वय स्थापित करते

	के मानकों के अनुरूप फिटनेस की जांच एवं कार्यवाही किया जाना।			जाँच किया जाना। 2-लोक निर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग दवारा अपने अधीन मार्गों पर वाहन चालकों की सुविधा हेतु मार्गों पर लेन मार्किंग हेतु किये गये थर्मोप्लास्टिक पेंट का निरीक्षण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।		हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों दवारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।
13 वां दिवस	1- वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, HSRP न लगे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही। 2- जिला विद्यालय परिवहन यान समिति तथा विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सभी जनपदों एवं विद्यालयों में शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जाय।	परिवहन निगम की बसों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर, इंडिकेटर, बैक लाइट, हेडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशे की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	iRAD/eDAR मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के DISTRICT ROLL OUT MANAGER के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस विभाग में लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना।	1-एक्सप्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाज़ा पर लेन-ड्राइविंग तथा ओवरस्पीडिंग न करने हेतु वाहन चालकों को प्रशिक्षित किया जाना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाना। 2-लोक निर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग द्वारा अपने अधीन मार्गों वाहन चालकों की सुविधा हेतु मार्गों पर लेन मार्किंग हेतु किये गये थर्मोप्लास्टिक पेंट का निरीक्षण करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।	बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाना।	समस्त मेडिकल कालेजों में सडक सुरक्षा संबंधित गोष्ठी का आयोजन।
14 वां दिवस	1- वाहन चलाते समय	परिवहन निगम के दस डिपो	1-IRAD /EDAR मोबाइल एप	समस्त अभियंत्रण विभाग दवारा	मास्टर ट्रेनर के माध्यम से	iRAD मोबाइल एप के संबंध

	सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, HSRP न लगे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही। 2- जिला विद्यालय परिवहन यान समिति तथा विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सभी जनपदों एवं विद्यालयों में शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जाये।	तथा बसों की स्वच्छता तथा बसों की फिटनेस का भौतिक सत्यापन क्षे0प्र0/से0प्र0 क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से कराते हुए कार्यवाही किया जाना तथा कृत कार्यवाही को मुख्यालय प्रेषित किया जाना।	के संदर्भ में समस्त जनपद DISTRICT ROLL OUT MANAGER- के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस विभाग में लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड करना। 2-अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों/अवैध टैम्पो एवं टैक्सी स्टैण्ड के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किया जाना।	मार्गों के समस्त [illegible] को चिन्हित करते हुए उन पर ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स की स्थापना का भौतिक सत्यापन किया जाना।	बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना।	में समस्त जनपद के [illegible] से नियुक्त DISTRICT ROLL OUT MANAGER के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के [illegible] द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फीड किये जाने की समीक्षा।
15 वां दिवस	जनपद के मा0 जनप्रतिनिधि तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में बस, ट्रक, ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों/ एन0जी0ओ0 के माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा	परिवहन निगम के चालकों/ परिचालकों की उपस्थिति में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले चालक/ परिचालक/ सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	ट्रैफिक व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रानिक उपकरणों का परीक्षण करते हुए उसकी जानकारी ट्रैफिक कर्मियों को दिया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस के 03 कर्मियों	1- समस्त कमरतोड़ स्पीड ब्रेकर को हटाते हुए आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त हो गये रम्बल स्ट्रिप, टेबल टॉप स्पीडब्रेकर, रोड मार्किंग आदि ट्रैफिक काल्मिंग मेजर्स की पुर्नस्थापना किया जाना। 2-लो0नि0वि0, एन.एच.ए.आई., उपशा, यूपीडा, पीडा	समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकलित कर अपने-अपने संबंधित मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समस्त कृत कार्यवाही का राज्य मुख्यालय पर रिपोर्ट देना।

	सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, हेल्मेट वितरण का कार्यक्रम, तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एन०जी०ओ०/ गुड सेमेरिटन /मास्टर ट्रेनर रोड सेफ्टी क्लब को सम्मानित किया जाना।		को सम्मानित किया जाना।	एवं नगर विकास विभाग के मुख्यालय द्वारा दिवसवार सूचनाएं एवं फोटोग्राफ संकलित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।		

नोटः- सड़क सुरक्षा पखवाड़े की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 02 हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ सहित ई-मेल atcrs-up@nic.in पर पखवाड़े की समाप्ति के उपरान्त 03 कार्य दिवसों में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।